खंड १ संख्या ३४

बिहार विधान सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि १ जुलाई, १९५२

Vol. I. No. 34

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Tuesday, the 1st July, 1952.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
रांची।
१९५३।

[मूल्य—६ आना।]
[Price—Annas 6.]

As soon as the Police were free from their duties in connection with the General Elections, strong measures were taken beginning from about the middle of February to combat the increase in crime. Some of these measures are noted below :—

(*i*) Nearly, 1,000 officers and men drafted from the Home Guards and assisted by the District Police and the C. I. D. have been conducting anti-crime operations in areas which were most affected particularly, West Purnea and North-East Saharsa. These operations have been successful inasmuch as crime has been brought down in those areas and large number of absconders, dacoits and other criminals of these districts were arrested. These operations would now be extended to other affected areas of the State.

(*ii*) As the officer-in-charge of the police-station cannot effectively control distant areas of his jurisdiction, Police cottage or Police Sivirs have been established as a special measure in most of the crime centres throughout the State.

(*iii*) Due to the abrogation of the provisions of the Criminal Tribes Act, the task of the Police became much more difficult in keeping effective control over the activities of hardened criminals belonging to criminal tribes. The State Government have under consideration the desirability of re-introducing those provisions pending the enactment of Habitual Offenders Act.

(*iv*) The anti-crime drives which had become non-existent during the period when the Police were busy with the Elections have been restored vigorously.

लूट, डकैतियों तथा हत्याओं की संख्या।

२। श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) १९५२ के जनवरी से १९५२ के मई तक सारे बिहार में लूटों, डकैतियों तथा हत्याओं की क्या संख्या है ;

(ख) १९५१ के जनवरी से मई महीने तक उपरोक्त तरहों के जुल्मों की कुल संख्या क्या थी ;

(ग) यदि जुल्मों में वृद्धि हुई है तो वृद्धि होने का क्या कारण है, और सरकार उसे रोकने के लिये क्या करना चाहती है ?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) जनवरी से अप्रैल, १९५२ तक डकैती, हत्या और बटमारी-रौबरी के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	जनवरी।	फरवरी।	मार्च।	अप्रैल।	मई।
डकैती ...	१७७	१८५	२१३	१५५	१६९ (३१ मई, १९५२ तक)
हत्या ...	५६	६९	७०	७८	...
बटमारी-रौबरी	७१	६२	७२	६९	...

मई १९५२ तक केवल डकैती के आंकड़े शीघ्र प्राप्य हो सके हैं, "लूट" शीर्षक के अधीन कोई अलग आंकड़ा नहीं रखा जाता है। यह "डकैती" और "बटमारी-रौबरी" शीर्षकों के अन्तर्गत ही आती है।

(ख) उपर्युक्त शीर्षकों के अधीन आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	जनवरी।	फरवरी।	मार्च।	अप्रैल।	मई।
डकैती	११७	१३९	११७	१३८	१५९
हत्या	५६	६४	५७	६१	६४
बटमारी-रौबरी ...	६५	४८	६४	६८	६८

(ग) १९४९ और १९५० के पूर्वार्द्ध में अपराध की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रित कर ली गयी थी, और उनमें कमी भी हुई थी, किन्तु १९५० के उत्तरार्द्ध में स्थिति कुछ खराब हो गयी और १९५१ में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती रही। यह मुख्यतः आर्थिक स्थिति के खराब हो जाने से हुआ और १९५१ में पुलिस और मजिस्ट्रेट खाद्यान्न-वितरण, जन-गणना और सामान्य-निर्वाचन में भी लगे थे। १९५२ के जनवरी और फरवरी में पुलिस सामान्य-निर्वाचन में लगभग पूरी तरह से फंसी थी।

जैसे ही पुलिस को सामान्य-निर्वाचन के कार्यों से छुटकारा मिला, फरवरी के मध्य से अपराधों की वृद्धि को रोकने के लिये कड़ी कार्रवाइयां की गयीं। इन कार्रवाइयों में से कुछ ये हैं :—

(१) लगभग १,००० अफसर और होमगार्ड्स से लिये गये व्यक्ति, जिला पुलिस तथा सी० आई० डी० की सहायता से अत्यधिक अपराध-ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष कर, पश्चिमी पूर्णिया और उत्तर-पूर्व सहरसा में अपराध-निरोधक-कार्य करते आ रहे हैं। ये कार्य इस माने में सफल हुए हैं कि उन क्षेत्रों में अपराधों की संख्या कम हो गयी है और इन जिलों के फरार, डकैत और अन्य अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। ये कार्य अब राज्य के अन्य अपराध-ग्रस्त-क्षेत्रों में बढ़ाये जायेंगे।

(२) चूंकि थाने के भार-साधक (इंचार्ज) अफसर अपने इलाके (क्षेत्राधिकार) के दूर-दूर के क्षेत्रों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए राज्य भर के बहुत से अपराध-केन्द्रों में विशेष कार्रवाई के रूप में पुलिस-कॉटेज या पुलिस-शिविर खोल दिये गये हैं।

(३) क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के उपबंधों के हटा दिये जाने के कारण अपराधी-जन-जातियों के दुष्ट अपराधियों की कार्रवाइयों को नियंत्रित करना पुलिस के लिए अधिक कठिन हो गया है। राज्य-सरकार ने एक हैबीचुअल ऑफेन्डर्स एक्ट बनाने का निश्चय किया है।

(४) अपराध-निरोधक-कार्य, जो पुलिस के निर्वाचन-कार्यों में व्यस्त रहने के समय शिथिल हो गया था, जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है।

निर्वाचन के अवसर पर व्यय।

३। श्री जयनारायण झा 'विनीत'—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) निर्वाचन-सूची की तैयारी के समय से विगत सामान्य-निर्वाचन तक निर्वाचन में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना है, और इसमें केन्द्रीय-सरकार ने बिहार-सरकार को कितना दिया है;

(ख) कितने सरकारी नौकर इसमें नियोजित थे, सामान्य निर्वाचन के संचालन में उन लोगों को कितना समय देना पड़ा था;

(ग) किन-किन स्थानों में अगड़े हुए और उनके परिणाम क्या हुए?

माननीय डा० श्री कृष्ण सिंह—(क) १९४८ से १९५२ तक सामान्य निर्वाचन पर कुल व्यय १,००,३५,०४६ रु० ५ आ० ११ पाई है। जिसमें ५०,१७,५२३ रु० ३ आना भारत-सरकार से वसूल किया जाना है। अब तक राज्य सरकार को ३१,२७,८०० रु० मिला है।

(ख) सामान्य निर्वाचन में नियोजित अध्यासीन (प्रेजाइडिंग) तथा मतदान (पोलिंग) पदाधिकारियों की कुल संख्या १६,५०० थी। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, १९५१ से जनवरी, १९५२ तक जिला एवं सबडिवीजनल अफसरों के कार्यालयों के लगभग सम्पूर्ण कर्मचारीवृन्द इसमें लगे थे।